Tel/Fax:- 01386-263144, 262322, e-mail:- dfo_soillansdowne@rediffmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः– 188/ 12-1 दिनांक, लैन्सडौन, 18/08/ 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0आई0यु0,
दुगड्डा, जनपद पौडी गढवाल।

विषयः– **पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पौखाल माडंलु मार्ग से खामणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यवर्तन।**

संन्दर्भः– **भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/20/2020/एफ0सी0/305 दिनाक 12.06.2020**

महोदय,

.उपरोक्त विषयक संन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/48/2020/एफ0सी0/305 दिनाक 12.06.2020 द्वारा उक्त मोटर मार्ग हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, के क्रम में सैद्वान्तिक स्वीकृति निमनिलिखित शर्तो की कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 में अधिरोपित शर्त प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पेड स्थनों पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो का रखरखाव वित्तिय वर्ष 2020–21 के लिए 2000 वृक्षों का रोपण किया जायेगा जिसके लिए आपको (337184 X 3.256) 1097871.10 या 1097871 (दस लाख सत्तानवें हजार आठ सौ इक्कातर) रूपये मात्र की धनराशि आपको जमा करानी होगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त स0 2 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि (1.628 X 657000) 1069596 (दस लाख उनहत्तर हजार पांच सौ छियानवें) रूपये आपके द्वारा जमा की जायेगी।
3. शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय का बचनबद्वता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।
4. उक्त समस्त धनराशि वन विभाग के कैम्पा मद अन्तर्गत प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना का प्राधिकरण के तर्थध निकाय के लेखा सं0 एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की कलर प्रमाणित छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैक डॉफ्ट/चैक की प्रमाणित छायाप्रति का विवरण देना होगा।
5. सडक निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip plantaiton की जायेगा। इस आशय की बचन बद्वता का प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फारेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0– 2564/1जी0–5070 दिनांक 02.06.2020 द्वारा हस्तांतरित सिविल क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु आने वाले व्यय को भी आपको जमा करना होगा। इस आशय का प्रमाण पत्र कृपया देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्रेश उपाध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

Scanned by CamScanner